प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

.....

.....

(युगलपीठ)

कोरम: **माननीय श्री टी. पी. शर्मा एवं**

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायमूर्तितगण

.....

.....

दाण्डिक अपील क्रमांक 775/2003

अपीलार्थी :- अंजोर दास, पिता सुधाराम सतनामी, उम्र लगभग
(जेल में) 36 वर्ष, निवासी ग्राम धनगांव, थाना जरहागांव,
जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

उत्तरवादी :- छत्तीसगढ़ राज्य शासन, द्वारा थाना जरहागांव

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील का ज्ञापन।

उपस्थिति:

श्री डी. आर. शर्मा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद पाण्डेय, अधिवक्ता के साथ, अपीलार्थी के अधिवक्ता।

श्री राकेश झा, राज्य/ उत्तरवादी के लिए उप सरकारी अधिवक्ता।

मौखिक निर्णय

दिनांक-22/01/2010 को पारित

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय **माननीय न्यायमूर्ति श्री टी. पी. शर्मा** द्वारा पारित किया।

(1) इस अपील में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेली, बिलासपुर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 222/02 में दिनांक 7/3/2003 को पारित दोषसिद्धि और दण्डादेश के निर्णय को चुनौती दी गई है, जिसके तहत अपीलार्थी को मायाराम की हत्या और सुधाराम को मामूली चोट पहुंचाने के अपराध में दोषी ठहराते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 323 के तहत आजीवन कारावास तथा 1,000 रुपये के जुर्माने का दण्ड सुनाया गया। साथ ही जुर्माना न भरने पर, 1 वर्ष के लिए अतिरिक्त सश्रम कारावास, और 6 महीने के लिए सश्रम कारावास का दण्ड सुनाया गया।

(2) निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी ठोस और विश्वसनीय साक्ष्य के विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी ठहराया और दण्डित किया और इस प्रकार अविधिकता कारित की है I

(3) अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला यह है कि घटना वाले दिन 15/11/01 को लगभग 10.30 बजे मृतक मायाराम अपने घर में मौजूद था। कुछ पैसे की मांग के आधार पर अपीलार्थी मायाराम के घर लाठी लेकर गया और उस पर लाठी से हमला किया जिससे वह गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अ.सा. 1 लाइचन ने उसी दिन प्रदर्श पी-1 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। अपीलार्थी ने सुधाराम और अ.सा 2 कु. भानु पर भी हमला किया। विवेचना अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए और गवाहों को प्रदर्श पी-14ए के तहत बुलाने के बाद, मायाराम के शव की मृत्यु समीक्षा प्रदर्श पी-14 के तहत तैयार की गई। खून आलूदा मिट्टी और सादी मिट्टी, मृतक की टूटी हुई कन्ठीमाला को प्रदर्श पी-15 के तहत मौके से बरामद किया गया। शव को प्रदर्श पी-11 के तहत पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुंगेली भेजा गया और निम्नलिखित चोटें पाई गईं: (1) बाएं ज़ाइगोमैटिक आर्च पर 3 x 1 से.मी. की मांसपेशी की गहराई तक एक कटा हुआ घाव। (2) टेम्पोरल क्षेत्र पर 3 x 2 से.मी. x हड्डी की गहराई तक एक कटा हुआ घाव, आंतरिक हड्डी में फ्रैक्चर पाया गया और मस्तिष्क पदार्थ क्षतिग्रस्त होके बाहर आ गया। (3) 1 x 1 से.मी. x मांसपेशी की गहराई तक बाएं टेम्पोरल क्षेत्र कटा हुआ घाव। (4) चेहरे के बाईं ओर, बाएं मेस्टर्ड क्षेत्र पर सूजन। (5) 3 x 2 से.मी. के बाएं हाथ के पृष्ठीय पहलू पर खरोच। (6) अग्रबाहु पर 2 x 1 सेमी का खरोच, बाएं अग्रबाहु पर 1 ½ x ½ सेमी का खरोच। (7) कान के बाएं पिना पर कम हो गई सूजन। (8) 3,4,5,6,7,8,9,10वी बाईं ओर की पसलियों में फ्रैक्चर पाया गया। चोटें मृत्युपूर्व प्रकृति की थीं। सिर पर लगी चोट मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी। मृत्यु कोमा के रूप में हुई और मृत्यु प्रकृति में मानव वध थी। प्रदर्श पी-9 के अनुसार मौका नक्शा तैयार किया गया। मृतक के सीलबंद कपड़े को प्रदर्श पी-20 के अनुसार जब्त कर लिया गया। घायल शुद्धराम और कु. भानु को प्रदर्श पी-2 और पी-4 के तहत चिकित्सा परीक्षण के लिए भेजा गया। उनकी जाँच अ.सा. 3 डॉ. श्रीमती बिभा सिंदूर द्वारा प्रदर्श पी-3 (सुधाराम) के अनुसार की गई और बाएँ हाथ पर एक खरोंच और सीने में दर्द की शिकायत पाई गई। कु. भानु की भी प्रदर्श पी-5 के अनुसार जाँच की गई और दाएँ पार्श्विका क्षेत्र पर 2 x 1.5 सेमी. की सूजन पाई गई। अपीलार्थी की भी प्रदर्श पी-7 के अनुसार अ.सा3 डॉ. श्रीमती बिभा सिंदूर द्वारा जाँच की गई और दाएँ तर्जनी उंगली पर 1.5 x 1 सेमी. की एक खरोंच पाई गई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) अपीलार्थी को हिरासत में लिया गया, उसने प्रदर्श पी-8 के अनुसार लाठी के बारे में प्रकटीकरण कथन किया। उसके द्वारा छत से लाठी दिखाने पर, तेंदू की लकड़ि और खून से सने कपड़े प्रदर्श पी-9 के तहत जब्त किए गए। पटवारी ने प्रदर्श पी-16 के अनुसार

घटनास्थल का नक्शा तैयार किया। गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षे प में संहिता) की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। जब्त वस्तुओं को प्रदर्श पी-23 एवं पी-24 के अनुसार रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया।

(5) विवेचना पूर्ण होने के पश्चात् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुंगेली के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायालय, बिलासपुर को उपार्पित कर दिया। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने प्रकरण को विचारण हेतु अंतरण पर प्राप्त किया।

(6) अपीलार्थी का अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों का परीक्षण कराया। अभियुक्त की धारा 313 के अंतर्गत परीक्षा की गई, जहाँ उसने अपने विरुद्ध उपस्थित परिस्थितियों से इनकार किया। उसने निर्दोषता और झूठे फँसाये जाने का अभिवचन किया।

(7) पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(8) उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया। आक्षेपित निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

(9) अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि दोषसिद्धि मृतक की निकट संबंधी अ.सा.2 कु. भानु की एकमात्र गवाही पर आधारित है, जिसने यह बयान दिया है कि अपीलार्थी ने मृतक को लाठी से चोट पहुंचाई है, जो अभियुक्त की निशानदेही पर बरामद की गई है, लेकिन चिकित्सीय साक्ष्य से पता चलता है कि सिर पर लगी घातक चोट तेज धार वाले हथियार से लगी थी। चिकित्सीय और चक्षुदर्शी साक्ष्य के बीच टकराव अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है।

(10) दूसरी ओर, उत्तरवादी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया और कहा कि अ.सा.2 कु. भानु न केवल मृतक की निकट संबंधी हैं, बल्कि अपीलार्थी की भी संबंधी हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। सिर पर किसी कुंद वस्तु से चोट लगने के मामले में, जहाँ मांसपेशियों की परत पतली है, चोट कटे जैसी प्रतीत होती है (कटे जैसी चोट)। अ.सा. 2 कु. भानु ने अभियोजन पक्ष के मामले की स्पष्ट रूप से पुष्टि की है और अन्यथा भी, चक्षुदर्शी साक्ष्य के प्रकाश में, चक्षुदर्शी और चिकित्सीय साक्ष्य

के बीच किसी भी प्रकार के संघर्ष का कोई महत्व नहीं होगा और दोषसिद्धि के लिए नेत्र संबंधी साक्ष्य पर्याप्त हैं।

(11) पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्क को समझने के लिए, हमने वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य की जांच की है। मृतक मायाराम की घातक चोट के परिणामस्वरूप हुए मानव वध के बारे में अपीलार्थी द्वारा पर्याप्त रूप से विवाद नहीं किया गया है, जबकि अ.सा. 7 डॉ. जोशी के साक्ष्य और शव परीक्षण रिपोर्ट पी-11 द्वारा यह स्थापित किया गया है, जिसमें खोपड़ी की हड्डी और 8 पसली के फ्रैक्चर सहित घातक चोट का पता चलता है, मृत्यु का कारण कोमा था और मृत्यु की प्रकृति मानव वध हैI

(12) जहां तक विचाराधीन अपराध में अभियुक्त की संलिप्तता का संबंध है, दोषसिद्धि अ.सा. 2 कु. भानु की गवाही पर आधारित है, जो अपीलार्थी और मृतक की घायल रिश्तेदार गवाह है। उसने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से कहा है कि पैसे की मांग के आधार पर अपीलार्थी लाठी लेकर आया और उसने मृतक मायाराम पर जूते, मुक्कों और डंडों से हमला किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसने यह भी कहा है कि मायाराम ने उस पर और सुधाराम पर भी हमला किया। बचाव पक्ष ने इस गवाह से विस्तार में प्रतिपरीक्षण किया है। उसने कहा है कि घटना के समय वह अपने घर में मौजूद थी और अन्य लोग भी मौजूद थे। उसकी गवाही में कुछ विसंगति है और उसने भी संहिता की धारा 161 प्रदर्श डी-1 के तहत बयान दर्ज किया है, लेकिन वे किसी अन्य तरीके से भी और मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते हैं, हालांकि अ.सा.2 कु. भानु अकेली और रिश्तेदार गवाह है, लेकिन केवल रिश्तेदार होने के आधार पर उसके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह अपीलार्थी की रिश्तेदार भी है।I

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(13) साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य की गुणवत्ता आवश्यक है, न कि गवाहों की संख्या, और सकारात्मक निष्कर्ष निकालने के लिए एक पूर्णतः विश्वसनीय गवाह भी पर्याप्त होगा। वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने अ.सा.क्र.2 कु. भानु, जो एकमात्र गवाह है और जिसने घटना देखी है, का परीक्षण कराया है, क्योंकि घटना के समय उसकी उपस्थिति स्वाभाविक थी। मुख्य परीक्षण में बचाव पक्ष उसकी गवाही को गलत साबित करने के लिए कुछ भी नहीं ला पाया है, गवाहों को महत्व दिया जाता है, न कि गिना जाता है, क्योंकि इंसानी मामलों में गुणवत्ता, मात्रा से ज़्यादा मायने रखती है। ***झापसा कबारी और अन्य, अपीलार्थी, विरुद्ध बिहार राज्य***[1], के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि जब तक उक्त गवाह विश्वसनीय और भरोसेमंद है, तब तक अकेले गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि पर कोई रोक नहीं है। कण्डिका-9 इस प्रकार है:-

> "*हालाँकि, एक अकेले गवाह की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि पर कोई रोक नहीं है, जब तक कि उक्त गवाह विश्वसनीय और भरोसेमंद हो। सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अ.सा.1 की गवाही की जाँच की और उसे अविश्वास करने का कोई*

[1]एआईआर 2002 एससी 312

कारण नहीं मिला। हमने अ.सा.1 की गवाही का भी अध्ययन किया है। हमारा भी मानना है कि उसका बयान अत्यंत स्वाभाविक, विश्वसनीय और भरोसेमंद है। प्रतिपरीक्षण के दौरान उसे हिलाया नहीं जा सका। केवल इसलिए कि एक 14 वर्षीय लड़के ने फर्दबयान में उसका नाम नहीं लिया, मामले के तथ्यों के अनुसार, इसका कोई महत्व नहीं है और उसके साक्ष्य को अस्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने पिता और चाचा की हत्या के कारण मानसिक तनाव में रहा होगा। हमारे विचार से, भीखर राउत और इसराइल कबाड़ी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराए जाने और दण्ड दिए जाने में कोई कमी नहीं है।"

(14) अकेले गवाह के आधार पर सज़ा के सवाल पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने ***चित्तर लाल, अपीलार्थी बनाम राजस्थान राज्य, उत्तरवादी***[2] के मामले में कहा है कि दण्ड अकेले गवाह की गवाही के आधार पर हो सकती है, किसी बात को साबित करने या गलत साबित करने के लिए सबूत की गुणवत्ता ज़रूरी है, न कि उसकी मात्रा। कण्डिका-7 इस तरह है:-

"*इसलिए, यह तर्क कि अ.सा 3 की गवाही संदिग्ध है, में कोई दम नहीं है। दूसरा तर्क यह था कि केवल एक गवाह, अ.सा 3 की गवाही के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जानी चाहिए थी। यह तर्क भी उतना ही बेबुनियाद है। इस तथ्य की विधायी मान्यता कि गवाहों की किसी विशेष संख्या पर ज़ोर नहीं दिया जा सकता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में "साक्ष्य अधिनियम") की धारा 134 में पर्याप्त रूप से परिलक्षित होती है। यदि गवाहों की संख्या पर ज़ोर दिया जाए तो न्याय प्रशासन प्रभावित और बाधित हो सकता है। ऐसा अक्सर नहीं होता कि एक गवाह की उपस्थिति में अपराध किया गया हो, उन मामलों को छोड़कर जो अज्ञात घटना के नहीं हैं जहाँ अपराध का निर्धारण पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। यदि गवाहों की बहुलता विधायी मंशा होती, तो ऐसे मामलों में जहां केवल एक गवाह की गवाही उपलब्ध हो सकती थी, कई अपराधों में अपराधी को दंडित नहीं किया जाता। यह एकल गवाह के साक्ष्य की गुणवत्ता है जिसकी गवाही को विश्वसनीयता और विश्वसनीयता की कसौटी पर परखा जाना है। यदि गवाही विश्वसनीय पाई जाती है, तो ऐसे सबूत पर आरोपी को दोषी ठहराने में कोई विधिक बाधा नहीं है। यह गुणवत्ता है न कि साक्ष्य की मात्रा जो किसी तथ्य को साबित या गलत साबित करने के लिए आवश्यक है।"*

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(15) अ.सा 2 कु. भानु के सबूत से भरोसा होता है कि अकेले गवाह अ.सा.2 कु. भानु के सबूत पर भरोसा करना भरोसेमंद और सुरक्षित है। यह नतीजा निकालने के लिए कि अपील करने वाले ने मृतक मायाराम को चोट पहुंचाई है, काफी है। ऐसा लगता है कि चोट के प्रकार और इस्तेमाल किए गए हथियार में अंतर है। ज़ाइगोमैटिक आर्च और टेम्पोरल रीजन पर मिली चोट को डॉक्टर ने कटा हुआ घाव बताया है, लेकिन अपील करता ने बिना नुकीले हिस्से वाली

[2]एआईआर 2003 एससी 3590

छड़ी का इस्तेमाल किया है, लेकिन हड्डियों को ढकने वाली तनावपूर्ण बनावट जैसे स्कैल्प, आइब्रो, इलिया, क्रेस्ट, स्किन, पेरिनियम, घुटने और कोहनी पर किसी कुंद चीज़ से चोट लगने पर चोट कटे हुए घाव जैसी लग सकती है। **जे.पी. मोदी** के अनुभव से पता चलता है कि:-

> *"कभी-कभी, किसी कुंद हथियार से या गिरने से हुए घावों पर, त्वचा फट जाती है और हड्डियों को ढकने वाली तनावपूर्ण संरचनाओं, जैसे खोपड़ी, भौं, श्रोणि, शिखा, त्वचा और मूलाधार पर लगने पर या घुटने या कोहनी पर गिरने पर जब अंग मुड़ जाता है, तो यह चीरे हुए घाव जैसा लग सकता है। लेकिन ऐसे घावों के किनारे अनियमित पाए जाएँगे, जिनमें कुछ हद तक चोट के निशान होंगे, और अगर हैंड लेंस से जाँच की जाए, तो नीचे की तरफ किनारों को जोड़ते हुए ऊतकों के छोटे-छोटे रेशे दिखाई दे सकते हैं। खोपड़ी के घावों के मामले में, अगर वे किसी कुंद हथियार से लगाए गए हों, तो बाल बल्ब कुचले हुए पाए जाएँगे, लेकिन अगर किसी भारी धार वाली कुल्हाड़ी या चॉपर जैसे काटने वाले हथियार से लगाए गए हों, तो वे कटे हुए और घाव में धँसे हुए पाए जाएँगे।"*

(16) मामले में उपरोक्त चोट हड्डियों को ढकने वाली तनावपूर्ण संरचनाओं पर पाई गई थी और लेंस के उपयोग के बिना डॉक्टर के लिए यह राय देना मुश्किल था कि चोटें कटा हुआ घाव थीं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(17) जहाँ तक हेतुक का प्रश्न है, उद्देश्य केवल अपराध में सहायता करना है और प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में इसका महत्व समाप्त हो जाता है। उद्देश्य का अनुमान चोट की प्रकृति, शरीर के घायल भाग, प्रयुक्त हथियार और चोट पहुँचाने के तरीके के आधार पर लगाया जा सकता है। उपरोक्त तथ्य और परिस्थितियाँ अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हैं।

(18) वर्तमान मामले में अपीलार्थी ने शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर 10 फ्रैक्चर सहित 10 चोटें पहुंचाई हैं, जो मृतक की हत्या की कोटि में आने वाले मानव वध करने के उसके गंभीर आशय को दर्शाता है।

(19) अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात, विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया है। सुधारम को साधारण चोट पहुंचाने के कारण आजीवन कारावास और 1,000 रुपये जुर्माने से दण्डित किया है। विचारण न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत भी दोषी ठहराया है, हालांकि अभियोजन पक्ष ने सुधाराम की मृत्यु के कारण उसका परीक्षण नहीं कराया है (अ.सा. 2 कण्डिका-4), अ.सा. 2 कु. भानु के साक्ष्य के मद्देनजर दोषसिद्धि भी कायम है।

(20) उपर्युक्त कारणों से, हमें अपील में कोई गुंजाइश नहीं दिखती, अपील में कोई बल नहीं है। फलस्वरूप, दांडिक अपील खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

हस्ताक्षरकर्ता/-
टी. पी. शर्मा
न्यायाधीश

हस्ताक्षरकर्ता/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।"**

Translated By Nitesh Jain